रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**

**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**

**PART II—Section 3—Sub-Section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 75]** **नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 1991/माघ 19, 1912**

**No. 75]** **NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1991/MAGHA 19, 1912**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके**

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991

का. आ. 80(अ) :—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (ग) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको वह राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना (का प्रकाशन) अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार विचार करेगी;

2. ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी निर्बन्धन को अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने में हितबद्ध है, वह पैरा 1 में विनिर्दिष्ट उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, परिस्थिति विज्ञान रूप से अति संवेदनशील दहानु तालुका को संरक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के क्रियाकलाप पर्यावरण संबंधी संरक्षा और संरक्षण के सिद्धांतों से संगत हैं, दहानु तालुका, जिला थाने (महाराष्ट्र) को परिस्थिति विज्ञान रूप से कोमल क्षेत्र के रूप में घोषित करने की और ऐसे उद्योगों की जिनका पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव पड़ता है, स्थापना पर निर्बंधन अधिरोपित करने की प्रस्थापना करती है।

उद्योगों और औद्योगिक एककों का अवस्थान या स्थल उपाबंध में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।

तथापि, ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं पर जो इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख के पूर्व उक्त ताल्लुका में पहले से ही अनुमोदित या विद्यमान हैं, इस अधिसूचना से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र सरकार दहानू ताल्लुका के विद्यमान भूमि उपयोग पर आधारित ताल्लुका के लिए एक मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान तैयार करेगी। यह मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान स्पष्ट रूप से सभी विद्यमान हरित क्षेत्रों, फलोद्यानों जनजातीय क्षेत्रों और अन्य परिस्थिति विज्ञान रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करेगी। ताल्लुका के लिए मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान में ऐसे क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग के किसी भी परिवर्तन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अनुज्ञेय उद्योगों के अवस्थान के लिए दहानू ताल्लुका के भीतर कुल क्षेत्र अधिकतम 1000 एकड़ तक निर्बन्धित होगा। औद्योगिक एकक ऐसे स्थलों पर अवस्थित होंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिग्राह्य हों और जिनसे कम से कम पर्यावरण का अधिक्रमण होता हो।

[सं. जे.-13011/24/87-आई ए]
आर. राजामणि, सचिव

अनुबन्ध

महाराष्ट्र के थाणे जिले के दहानु तालुका में उद्योगों तथा औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने/प्रतिबन्ध लगाने के लिए दिशा-निर्देश

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय आधार पर दहानु तालुका में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने/उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्—हरी, नारंगी और लाल। यदि इसमें संदेह हो कि कोई उद्योग किस श्रेणी में आता है, इस बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिया जायेगा और ऐसे उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसे मंजूरी नहीं दे दी जाती।

हरी श्रेणी

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में मंजूरी/नामंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जिन उद्योगों पर विचार किया जा सकता है, उनकी सूची (बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों);

1. केवल गैर-हानिकर और गैर-परिसंकटमय उद्योगों को मंजूरी दी जाएगी (हानिकर और परिसंकटमय उद्योगों में ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी या विषाक्त पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उद्योग आते हैं)।

2. प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन न करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जाएगी।

*टिप्पणी :—निम्नलिखित कार्यों या कार्य को करने वाले उद्योगों को* प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन करने वाले उद्योग माना जायेगा, अर्थात् :—

एलोक्ट्रोप्लेटिंग
गालवेनाइजिंग
ब्लीचिंग
डिग्रीजिंग
फास्फेटिंग
रंगाई
पिकलिंग
चर्मशोधन
पॉलिशिंग
रेशों को पकाना
खालों की डाइजस्टिंग
वस्त्रों की डिजाइजिंग
लोम हटाना, सुखाना, स्क्रिमिंग
तथा वस्त्रों की धुलाई
एल्कोहल का आसवन, स्टिलेज वाष्पन
पशुओं का वध, हड्डियां प्राप्त करना, मांस की धुलाई
गन्ने का रस निकालना, फिल्टर करना, अपकेन्द्रण
चीनी तैयार करने के लिए आसवन,
एम की संयंत्रों में बैकवाश फिल्टरिंग
लुगदी बनाना, लुगदी प्रसंस्करण और कागज बनाना
कोयला पकाना
आक्साइडों की स्ट्रिपिंग
हाइड्रोलिक विसर्जन के जरिए प्रयुक्त रेत की धुलाई
लेटेक्स की धुलाई
विलायक निकालना

3. अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जायेगी।

4. केवल उन्हीं उद्योगों को मंजूरी दी जाएगी, जो विकीर्ण प्रकार की अस्थाई उत्सर्जनों का विसर्जन नहीं करेंगे।

टिप्पणी :—

1. उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर आमतौर पर गैर-हानिकर, गैर-परिसंकटमय और गैर-प्रदूषक श्रेणी में आने वाले कुछ उद्योग निम्नलिखित हैं :—

चावल मिलें, दाल मिलें, अनाज मिलें (आटा उत्पादन के लिए)
सुपारी उत्पादन और मसाला पिसाई
मूंगफली के छिलके निकालना (शुष्क)
कुलशीतन संयंत्र और शीत भंडार
बर्फ बनाना
मांस का परिरक्षण, कैनिंग, मछली, क्रस्टेशियन और इसी तरह के खाद्यों का परिरक्षण तथा प्रसंस्करण
दुग्ध और मक्खन, घी आदि जैसे डेरी उत्पादों का निर्माण
बुक बाइंडिंग
उत्कीर्णन, निक्षारण, ब्लाक बनाना
पत्थर की वस्तुओं का निर्माण, पत्थरों पर डिजाइन बनाना और उन पर पालिश करना (पत्थर पिसाई/पत्थर उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी)
ग्रिल, गेट, दरवाजे और खिड़की फ्रेम, पानी के टैंक, तार के जाल आदि जैसे धातु निर्माण अवयवों का निर्माण (कोयले के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी)
औजारों को पैना करने से संबंधित कार्य
विद्युत उपकरणों की मरम्मत
खींचने वाली रेहड़ियों, हाथ की रेहड़ियों, बैलगाड़ियों आदि का निर्माण
जेवर और उनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण (बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा)
घड़ियों, दीवार घड़ियों, जेवरातों की मरम्मत बीड़ी निर्माण
हथकरघे/पावर से चलने वाले करघे, बशर्ते कि करघों की अधिकतम संख्या चार हो।

कढ़ाई और लेस तथा धारियां बनाना।

परदे, मच्छरदानियां, चटाइयां, चादरें, तकिये के गिलाफ, बैग आदि जैसा कपड़े का सामान बनाना।

बने-बनाए कपड़े तथा परिधान बनाना (ड्राई-प्रोसेसिंग)।

सूती और ऊनी होजरी (ड्राई प्रोसेसिंग)

हथकरघे से बुनाई।

चमड़े के जूतों तथा चमड़े के सामान का निर्माण।

(टैनिंग तथा हाइड प्रोसेसिंग के अतिरिक्त)

जूते की फीते बनाना।

शीशों तथा फोटो-फ्रेमों का निर्माण।

वाद्य-उपकरणों का निर्माण।

खेल-कूद के सामान का निर्माण।

बांस तथा बेंत के सामान का निर्माण (केवल ड्राई-ऑपरेशन)

कार्ड-बोर्ड और कागज का सामान बनाना (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)

पृथक्करण तथा अन्य कोटेड पेपर (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)।

वैज्ञानिक और गणितीय उपकरणों का निर्माण।

फर्नीचर का निर्माण (केवल लकड़ी का)

घरेलू बिजली तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सज्जीकरण।

लिखने के सामान का निर्माण (पेन, पेंसिल आदि)

पोलीथीन, प्लास्टिक तथा पी.वी.सी. की चीजों की एक्सट्रूजन (मौल्डिंग) शल्य जालों तथा पट्टियों का निर्माण।

कंक्रीट की रेलवे स्लीपरों का निर्माण।

सूती कपड़े की कताई और बुनाई (केवल ड्राई-प्रोसेसिंग)

रस्सियों का निर्माण (सूत, जूट प्लास्टिक)

कालीन बुनाई।

तारों और पाइपों का निर्माण (नॉन-एस्बेस्टॉस)

एक्सट्रूजन आफ मेटल।

बिजली तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का सज्जीकरण।

कॉयर इंडस्ट्रीज।

खिलौने

मोमबत्तियां और अगरबत्तियां।

ऑयल-गिनिंग और एक्सपेलिंग (कोई हाइड्रोजनेशन तथा परिष्करण नहीं) आइस-क्रीम बनाना।

खनिज-जल बनाना।

ट्रंकों और सूटकेसों का निर्माण।

स्टेशनरी की मदों का निर्माण।(कागज और स्याही के अतिरिक्त) आप्टीकल फ्रेमों का निर्माण।

इस सूची में उद्योगों को सुविधा के लिए शामिल किया गया है और यदि किसी मामले में वे उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते तो उन्हें नारंगी तथा लाल श्रेणियों में रखा जाएगा।

नारंगी श्रेणी :

उन उद्योगों की सूची, जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पर्यावरणीय मूल्यांकन और पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ दहानू तालुका में चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

मृत्तिका—शिल्प (सेरेमिक्स)

सफाई के बर्तन

आटा चक्कियां

तेलों से विलायक द्रव्य निकालने समेत वनस्पति घी

साबुन (वाष्प क्वथन प्रक्रिया के बिना)

सिंथेटिक डिटरजेंट बनाना (नॉन-फ.स्फेटिक)

वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र (कोयला/कोक के बिना)

कार्यालय और घरेलू फर्नीचर तथा उपकरणों का निर्माण।

मशीनरी तथा मशीन औजारों और उपकरणों का निर्माण।

औद्योगिक गैसों का निर्माण (केवल नाइट्रोजन, आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड)

कोयला/कोक के अलावा ईंधन का इस्तेमाल करने वाले

ग्लासवेयर

आप्टिकल ग्लास

प्रयोगशाला का सामान

प्रोफेलेक्टिक्स और लेटेक्स उत्पादों को छोड़कर

सर्जिकल और मेडिकल उत्पाद

रबड़ के जूते

बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और कन्फेक्शनरी

इंस्टेंट चाय/कॉफी

माल्ट खाद्य

पंपों कंप्रेशरों, प्रशीतन, यूनिटों, अग्नि उपशमन उपकरणों आदि का निर्माण।

वायर ड्राइंग (शीत प्रक्रिया), वायर नेल्स, वाशिंग स्ट्रेप्स,

स्टील फर्नीचर

चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण

सुगंध, सुरस और भोज्य संयोजी

कार्बनिक पौधा पोषक

वासित जल/साफ्ट ड्रिंक्स

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले 3 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाले उद्योगों को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचारार्थ भेजा जाएगा।

लाल श्रेणी

उन उद्योगों की सूची, जिनको दहानू तालुका में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है:—

इस श्रेणी में आने वाले उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:— ढलाई खानों और मिश्रधातु बनाने की प्रक्रिया में शामिल धातु विज्ञानी उद्योग कोयला और अन्य खनिज प्रसंस्करण उद्योग

सीमेंट संयंत्र

कोयला/कोक के उपयोग पर आधारित उद्योग

तेल शोधक कारखाने

पेट्रो-रसायन उद्योग

संश्लिष्ट रबड़ विनिर्माण

ताप और नाभिकीय विद्युत संयंत्र

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेलों का विनिर्माण

चीनी मिलें

कागज और लुगदी का उत्पादन (अखबारी कागज सहित)

कोक ओवन्स के सह-उत्पाद और कोल तारकोल

आसवन उत्पादों का विनिर्माण

अल्कालिस और एसिड्स

विद्युत् ताप उत्पादों (कृत्रिम अपघर्षी, केल्सियम कार्बाइड इत्यादि जैसे)

फास्फोरस और इसके यौगिक

नाइट्रोजन यौगिक

विस्फोटक

फायर क्रेकर्स

तात्विक आइड्राइड्स

क्लोरीकृत हाइड्रो-कार्बन वाली प्रक्रियाएं

क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उनके यौगिक केमिकल्स फर्टीलाइजर्स सिंथेटिक फाइबर्स और रेयोन

सिन्थेटिक/कटनाशी/कवकनाशी/अपतृणनाशी/कृंतकनाशी इत्यादि का प्रतिपादन और निर्माण।

मौलिक औषधियां।

एल्कोहल

पशुओं की खाल, चमड़ा आदि का संसाधक और प्रसंस्करण

कोक बनाना, कोयले का प्रसंस्करण

जलाने की गैस का विनिर्माण

फाइबर ग्लास उत्पादन का प्रसंस्करण

रंगाई और उसका इंटरमीडिएट्स

औद्योगिक कार्बन और कार्बन उत्पाद

विद्युत्-रसायन और उनके उत्पाद

पेंट्स, इनेमल और वार्निश

पोली विनाइल क्लोराइड

पोलीप्रोपाइलीन

क्लोरेट्स, पर्क्लोरेट्स और पेरोक्साइड

पोलिश

सिंथेटिक रेजिन्स

प्लास्टिक

एस्बेस्टॉस

टिप्पणी : जो उद्योग ऊपर दर्शाई गई तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते उनके वर्गीकरण के मामले में निर्णय तीन करोड़ से कम परिव्यय वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा और अन्य मामलों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 8th February, 1991

S.O. 80(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published as required by clause (c) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is also hereby given that the said draft notification will be taken into consideration by the Central Government on the expiry of sixty days from the date the Official Gazette containing (the publication of) this notification is made available to the public;

2. Any person intertsted in filing any objection against the imposition of any restriction, may do so in writing to the Secretary, Department of Environment, Forests and Wildlife, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within the said period of sixty days specified in paragraph 1.

### DRAFT NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra, after considering the need for protecting the ecologically sensitive Dahanu Taluka, and to ensure that the development activities are consistent with principles of environmental protection and conservation, hereby proposes to declare Dahanu Taluka, District Thane (Maharashtra) as an ecologically fragile area and to impose restrictions on the setting up of industries which have detrimental effect on the enviornment.

The location or siting of industries and industrial units shall be in conformity with the Guidelines given in the Annexure.

However, the industrial projects already approved or in existence in the said Taluka before the date of issue of this notification, will not be affected by this Notification.

The Government of Maharashtra will prepare a Master Plan or Regional Plan for the Taluka based on the existing land use of Dahanu Taluka. This Master Plan or Regional Plan willl clearly demarcate all the existing green areas, orchards, tribal areas and other environmentally sensitive areas. No change of land use will be permitted for such areas in the Master Plan or Regional Plan for the Taluka. The total area within the Dahanu Taluka for location of permissible industries will be restricted to a maximum of 1000 acres. The industrial units will be located at sites that are environmentally acceptable and which will result in the minimum amount of environmental degradation.

[No. J-13011|24|87-IA]

R. RAJAMANI, Secy.

## ANNEXURE

## GUIDELINES FOR PERMITTING|RESTRICTING INDUSTRIES AND INDUSTRIAL UNITS IN THE DAHANU TALUKA, THANE DISTRICT IN MAHARASHTRA

Industries will be classified under three categories, viz. Green, Orange and Red as shown below for purposes of permitting|restricting such industrial activities in Dahanu Taluka on the basis of environmental and ecological considerations. In case of doubt as to the category in which the industry falls, a reference shall be made to the Ministry of Environment & Forests, Government of India, and such industry will not be permitted until cleared by the Ministry of Envrironment & Forests, Government of India.

### GREEN CATEGORY

List of industries that can be considered by the Maharashtra Government agencies for approval|rejection in approved industrial areas without prior approval of the Ministry of Environment & Forests, Government of India (provided that all the following conditions are satisfied) :

1. Only those industries that are non-obnoxious and non-hazardous will be permitted. (Obnoxious and hazardous industries include those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances).

2. Only those industries that do not discharge industrial effluents of a polluting nature will be permitted.

Note :—Industries that undertake any of the following processes or process of similar nature shall be regarded as industries that discharge industrial effluents of a polluting nature, namely :—

Electroplating.

Galvanizing.

Bleaching.

Degreasing.

Phosphating.

Dyeing.

Pickling.

Tanning.

Polishing.

Cooking of fibres.

Digesting of hides.

Desizing of fabrics.

Removal of hair, soaking, deliming and washing of fabric.

Distillation of alcohol, Stillage evaporation.

Slaughtering of animals, rendering of bones, washing of meat.

Crushing of sugarcane, filtration, centrifugation, distillation for extraction of sugar.

Filtering backash in D.M. Plants.

Pulp making, pulp processing and paper making.

Coking of coal.

Stripping of oxides.

Washing of used sand by hydraulic discharge.

Washing of latex.

Solvent extraction.

3. Only those industries that do not use coal in their manufacturing process will be permitted.

4. Only those industries that do not emit fugitive emissions of a diffused nature will be permitted.

Note :—

1. Some of the industries that ordinarily fall in the non-obnoxious, non-hazardous and non-polluting category, subject to fulfilment of the above conditions are :—

Rice Mills, Dal Mills, Grain Mills (for production of flour).

Manufacture of supari and masala grinding.

Groundnut decorticating (dy).

Chilling Plants and cold storages.

Ice making.

Preservation of Meat, canning, preserving and processing of fish, crustaceous and similar foods.

Manufacture of milk and dairy products such as butter, ghee, etc.

Book binding.

Engraving, etching, blockmaking.

Manufacture of structural stone goods, stone dressing and polishing (stone crushing|stone quarrying will not be permitted).

Manufacture of metal building componens such as grills, gates, doors and window frames, water tanks, wire nets, etc. (use of coal not permitted).

Tool sharpening works.

Repairs of electrical appliances.

Manufacture of push carts, hand carts, bullock carts, etc.

Manufacture of jewellery and related articles (no power to be used).

Repairs of watches, clocks, jewellery.

Manufacture of bidis.

Handlooms|Powerlooms, subject to a maximum of 4 looms.

Embroidery and the making of laces and fringes.

Manufacure of made up textile goods such as curtains, mosquito nets, mattresses, bedding material, pillow cases, bags, etc.

Ready-made garments and Apparel making (dry processing).

Cotton and woollen hosiery (dry processing).

Handloom weaving.

Manufacture of leather foot wear and leather products (excluding tanning and hide processing).

Shoe lace manufacturing.

Manufacture of mirrors and photoframes.

Manufacture of musical instruments.

Manufacture of sports goods.

Manufacture of bamboo and cane products (dry operations only).

Manufacture of cardboard and paper products (Paper and pulp manufacture excluded).

Insulation and other coated papers (Paper and pulp manufacture excluded).

Manufacture of scientific and mathematical instruments.

Manufacture of furniture (wood only).

Assembly of domestic electrical and electronic appliances.

Manufacture of writing instruments (pens, pencils, etc.).

Extrusion moulding of polythene, plastic and PVC goods.

Manufacture of surgical gauzes and bandages.

Manufacture of concrete railway sleepers.

Cotton spinning and weaving (dry processes only).

Manufacture of ropes (cotton, jute, plastic).

Carpet weaving.

Manufacture of wires and pipes (non-asbestos).

Extrusion of metal.

Assembly of electric and electronic equipment.

Coir industries.

Toys.

Wax candles and agarbatis.

Oil-ginning and expelling (no hydrogenation and no refining).

Manufacture of ice-cream.

Manufacture of mineral water.

Manufacture of trunks and suitcases.

Manufacture of stationery items (except paper and inks).

Manufacture of optical frames.

2.The inclusion of industries in this list is for convenience and if in a given case they do not fall in the above category they will be treated as in the Orange or Red Categories.

## ORANGE CATEGORY

list of Industries that can be permitted in Dahanu Taluka with proper Environmental Assessment and adequate Pollution Control Measures in sites that have been approved by the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

Ceramics.

Sanitryware.

Flour mills.

Vegetable oils including solvent extracted oils

Soap (without steam boiling process).

Formulation of synthetic detergents (non-phosphatic.

Steam generating plants (without coal|coke).

Manufacture of office and household furniture and appliances.

Manufacture of machinery and machine tools and equipment.

Manufacture of industrial gases (only Nitrogen. Oxygen and $CO^2$).

Glassware using fuel other than coal|coke.

Optical Glass.

Laboratoryware.

Surgical and medical products excluding prophylactics and latex products.

Rubber Foot wear.

Bakery products, biscuits and confectionery.

Instant tea|coffee.

Malt foods.

Manufacture of pumps, compressors, refrigeration units, fire fighting equipment, etc.

Wire drawing (cold process), Wire Nails, Baling straps.

Steel furniture.

Medical and surgical instruments.

Fragrances, flavours and food additives.

Organic plant nutrients.

Aerated waters|soft drinks.

Industries falling within the above category with an outlay not exceeding Rs. 3 crores will have to be referred to the Ministry of Environment & Forests, Government of India for consideration.

## RED CATEGORY

List of Industries that cannot be permitted in Dahanu Taluka.

The illustrative list of industries that fall within this category include :—

Metallurgical industries including foundries and alloy making processes.

Coal and other mineral processing industries.

Cement Plants.

Industries based on the use of coal|coke.

Refineries.

Petrochemical industries.

synthetic Rubber Manufacture.

Thermal and nuclear power plants.

Manufacture of vanaspati. hydrogenerated vegetable oils for industrial purposes.

Sugar Mills.

Manufacture of paper and pulp (including newsprint).

Manufacture of by-products of coke ovens and coal tar distillation products.

Alkalis and acids.

Electro-thermal products (such as artificial abrasives, calcium carbide, etc.)

Phosphorus and its compounds.

Nitrogen compounds.

Explosives.

Fire-crackers.

Pthalic anhydride.

Processes invloving chlorinated hydrocarbons.

Chlorine, fluorine, bromine, iodine and their compounds.

Chemical fertilizers.

Synthetic fibres and rayon.

Manufacture and formulation of synthetic pesticides|insecticides|bactericides|fungicides etc.

Basic drugs.

Alcohol.

Tanning and processing of animal skins, hides, leather, etc.

Making of coke, Liquefaction of coal.

Manufacture of fuel gas.

Fibre glass production or processing.

Dyes and their intermediates.

Industrial carbon and carbon products.

Electro-chemicals and their products.

Paint, enamels and varnishes.

Poly vinyl chloride.

Polypropylene.

Chlorates, perchlorates and peroxides.

Polishes.

Synthetic resins.

Plastics.

Asbestos.

Note :—In case of industries which do not fall in any of the above mentioned three categories, decision in regard to their classification will be taken by the State Government for those projects having an outlay not exceeding Rs. 3 crores and for others reference is to be made to the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991